



39/2007 को हू 212 - रि खरदान

दिनांक	आज्ञा पत्र
21-12-17	वकूलायौ फरीकैन उपस्थित प्रकावली 210 22-12-17 को पेश है। 
22-12-17	<p>वकूलायौ फरीकैन उपस्थित । अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वह रेस्पोंडेन्ट सं0-1 के वारिसान के विरुद्ध कोई सहायता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं । अतः रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 का नाम अपील से हटाया जावे । प्रार्थना पत्र की नकल दी गई। राजकीय अभिभाषक उपस्थित । बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई । प्रार्थना पत्र नाम हजफ का बाद अवलोकन स्वीकार किया जाकर रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 का नाम अपील से हजफ किया जाता है ।</p> <p>प्रकरण में उभयपक्षों को अपील पर सुना गया वकील अपीलान्ट के कथनों से प्रथम दृष्टया सन्तुष्ट होते हुये न्यायहित में पक्षकारों में और अधिक मुकदमें बाजी न बढे इस कारण हम न्यायहित में उभयपक्षों को दावा के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी के मौका की यथास्थिति बनाये रहें । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय सुनाया गया ।</p> <p> शंकरलाल मेहरडा भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</p>

